न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/135/2014

उनवान

1. श्ररवण उर्फ श्रवण आत्मज मिठू बारेठ (गुजरान) निवासी सुभाषनगर (मलाण) भीलवाडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स/वादीगण

बनाम

1. सुखदेव आत्मज गोपी गुर्जर निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा
2. शब्बीर खॉ वल्द अकबर खॉ पठान निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 56/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.6.2014

अभिभाषक : 1. श्री एकलिंग प्रसाद, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री प्रत्यर्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. श्री सूरज सनाढ्य , अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2

आदेश

दिनांक 17.07.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं उसके भाई स्व0 कैलाश ने प्रतिवादी संख्या 1 मौजा मालीखेडा तहसील माण्डल में स्थित उसके खातेदारी अधिकारों की हाल आराजी नम्बर 7508 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से 19 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 9943/7540 रकबा 0.11 बीघा सम्पूर्ण कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र मर्वखा 5.3.1997 क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया । विक्रय पत्र दिनांक 5.3.1997 की एवं जमाबंदी खतौनी संख्या 144 व 156 संवत 2068 से 2071 तक की प्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न है। उसके भ्राता कैलाश की अविवाहित अवस्था में दिनांक 10.8.2006 को मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न है तथा दिनांक 5.3.1997 से कब्जाकाश्त होकर उसका निरन्तर वादी उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 में सीमा संबंधी विवाद होने से वादी ने उक्त आराजी की पुख्ता सीमाचिन्हों के बारे में पत्थरगढी हेतु तहसील कार्यालय माण्डल से दिनांक 7.3.2013 को उक्त आराजी की जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो यह जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूलवश वादी के नाम अंकित नहीं हुई एवं अभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर ही राजस्व अभिलेख में अंकित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने क्रयशुदा आराजियात में से आराजी संख्या 9943/7540 रकबा 0.11 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 को अनाधिकार विक्रय कर दी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर अंकित है। अतः प्रार्थना है कि आराजी नम्बर 7508 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से 19 बिस्वा तथा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिसके पडौस पूर्व आराजी नम्बर 7508 का शेष भाग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है। पश्चिम मोहन जी चमार की आराजी, उत्तर –अमरा रेगर की आराजी व दक्षिण नानूराम गुर्जर की आराजी उक्त चारौं पडौस के मध्य स्थित 1 बीघा 10 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख किये जाने की खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पारित फरमाई जावे तथा वादी द्वारा क्रय रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से बेदखल न करें एवं न करावें तथा वादग्रस्त आराजी किसी अन्य को बय बक्षीस नहीं करें व उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहूँचाये।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.6.2014 द्वारा वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि मौजा माली खेडा स्थित प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी की हाल आराजी नम्बर 7508 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि जो पश्चिम दिशा वाला भू भाग है एवं आराजी संख्या 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाई कैलाश ने दिनांक 5.3.1997 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया उक्त विक्रय सुदा भूमि के पडौस निम्नांकित है। पूर्व– आराजी नम्बर 7508 का शेष भू भाग जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर अंकित है, पश्चिम – मोहन चमार की आराजी, उत्तर में अमरा रेगर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की आराजी, दक्षिण में नानूराम गुर्जर की आराजी । उक्त क्रय सुदा भूमि का उपयोग–उपभोग क्रय तिथि से अपीलाण्ट एवं उसका भाई कैलाश क्रय के समय से ही करते चले आ रहे थे। किन्तु अपीलार्थी के भाई कैलाश की अविवाहित स्थिति में ही दिनांक 10.8.2008 को मृत्यु हो चुकी है। कैलाश अविवाहित होने से उसके कोई प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं होने से वर्तमान में अपीलार्थी ही एकमात्र अपीलाधीन कुलिया क्रय सुदा भूमि का उपयोग उपभोग एकमात्र विधिक वारिस होने से करता चला आ रहा है।

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 आये दिन सीमा संबंधी विवाद करता है इसलिए अपीलाण्ट ने तहसील से जमाबंदी की नकल दिनांक 7.3.2013 को प्राप्त की तब प्रथम बार जानकार हुई कि अपीलार्थी एवं उसके भाई कैलाश द्वारा क्रय सुदा भूमि का खाता नहीं खोला गया एवं आराजी नम्बर 7508 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर ही दर्ज रेकार्ड है एवं आराजी नम्बर 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। तब जाकर अपीलार्थी को जानकारी हुई कि राजस्व एजेन्सी द्वारा अपीलार्थी एवं उसके भाई द्वारा क्रय सुदा भूमि का इन्तकाल नहीं खोलने के कारण वादग्रस्त आराजी नम्बर 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दोबारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांक 2.7.2010 को विक्रय कर दिया गया एवं राजस्व एजेन्सी के कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम उक्त आराजी का इन्तकाल भी खोल दिया गया । जबकि मौके पर पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की तिथि से दोनों ही आराजियात पर अपीलाण्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजियात पर कोई कब्जाकाश्त व दखल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी/वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने के बाद बावजूद सूचना प्रत्यर्थी संख्या 1व 2/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं हुए । अपीलार्थी/वादी ने अपने कथनों की ताईद में अपने सशपथ बयान करवाये, अपने भाई की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया एवं अपीलार्थी द्वारा अपने भाई की मृत्यु ला औलाद होने व अविवाहित होने की दशा में सशपथ बयान दिये है दूसरी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के उपस्थित नहीं होने के बावजूद, अपीलार्थी के पक्ष में राजस्व एजेन्सी द्वारा इन्तकाल नहीं खोलने एवं आराजी नम्बर 9943/7540 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट को विक्रय करने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या/प्रत्यर्थी संख्या 2 को पुनः विक्रय कर दिये जाने एवं राजस्व एजेन्सी द्वारा उसके नाम पर नामान्तरकरण खोल देने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह कतई न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी एवं उसके भाई कैलाश द्वारा उक्त आराजियात क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था इस तथ्य को पंजीकृत विक्रय पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा प्रदर्श कराया गया है जिसका कोई खण्ड़न नहीं होने के बावजूद उसको नहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त की जाकर अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 5.3.1997 को अपीलार्थी एवं उसके भाई कैलाश द्वारा क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है उसके मुकाबले प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र को शून्य प्रभावी एवं निष्प्रभावी मानते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी आराजी नम्बर 7508 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि जो पश्चिम दिशा वाला भू भाग है एवं आराजी संख्या 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे अपीलार्थी की क्रय सुदा एवं कब्जेसुदा आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा जिसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

7. प्रत्यर्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी ने खातेदार काश्तकार प्रत्यर्थी संख्या 1 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को खारिज भी नहीं करवाया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के साथ संलग्न दस्तावेज का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थी एवं उसके भाई कैलाश द्वारा दिनांक 5.3.1997 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 1 के जरिये तत्कालीन खातेदार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सुखदेव पुत्र गोपी गुर्जर जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 है से वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 7508 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि जो पश्चिम दिशा वाला भू भाग है एवं आराजी संख्या 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिसके पडौस भी विक्रय पत्र में अंकित है को प्रतिफल अदाकर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त आराजियात का केतागण अपीलार्थी एवं उसके भाई के नाम पर राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण नहीं किये जाने से वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही। जिस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त विक्रय सुदा आराजी में से आराजी नम्बर 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा भूमि को पुनः प्रत्यर्थी संख्या 2/विपक्षी संख्या 2 शब्बीर खॉ को विक्रय कर दी । जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को पूर्व में दिनांक 5.3.1997 को अपीलार्थी एवं उसके भाई से प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी नम्बर 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1 के कोई हक अधिकार नहीं रहे थे।

9. अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 7508 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि जो पश्चिम दिशा वाला भू भाग है एवं आराजी संख्या 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को अपने नाम पर दर्ज करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया एवं अपने कथनों की ताईद में अपीलार्थी ने अपने भाई कैलाश की मृत्यु हो जाने से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार अपीलार्थी के भाई कैलाश की मृत्यु दिनांक 10.8.2006 को हो गई थी। जो कि वादग्रस्त आराजी के क्रय के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समय अपीलार्थी के साथ क्रेता था । अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि कैलाश मृत्यु के समय अविवाहित था जिस कारण उसके कोई प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है। कैलाश की मृत्यु के बाद अपीलार्थी ही वारिस है एवं वादग्रस्त आराजियात पर क्रय तिथि से अपीलाण्ट एवं उसके भाई तथा भाई की मृत्यु के बाद से अपीलाण्ट का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

10. चूंकि वादग्रस्त आराजियात को अपीलार्थी एवं उसके भाई कैलाश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । मात्र राजस्व कार्मचारियों की लापरवाही के कारण प्रत्यर्थी संख्या एक ने वादग्रस्त आराजियात में से आराजी नम्बर 9943/7540 रकबा 11 बिस्वा का मात्र कागजी तौर पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को विक्रय किया है । न्यायालय हाजा में प्रत्यर्थी संख्या 1 विक्रेता अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में भी वह अनुपस्थित रहा है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 को नोटिस की प्रोपर तामिल हुई है। अपीलार्थी का भाई जो कि वादग्रस्त आराजियात को क्रय करने में अपीलाण्ट के साथ क्रेता है रहा है चूंकि उसकी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है एवं उसके प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं है जैसा कि अपीलाण्ट ने अपने वाद पत्र में सशपथ कथन किया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित कर वाद आंशिक स्वीकार किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.6.2014 को खारिज किया जाता है एवं आराजी नम्बर 7508 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि जो पश्चिम दिशा वाला भू भाग है एवं आराजी संख्या 9943/7540 रकबा 11

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 17.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

17/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 135 / 2014

उनवान

1. श्ररवण उर्फ श्रवण आत्मज मिठू बारेठ (गुजरान) निवासी सुभाषनगर (मलाण) भीलवाडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स / वादीगण

बनाम

1. सुखदेव आत्मज गोपी गुर्जर निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा
2. शब्बीर खॉ वल्द अकबर खॉ पठान निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा.
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 56 / 2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.6.2014

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 135 / 2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 17.7.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एकलिंग प्रसाद वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सूरज सनाढ्य की उपस्थिति मे दिनांक 17.7.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.6.2014 को खारिज किया जाता है एवं आराजी नम्बर 7508 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि जो पश्चिम दिशा वाला भू भाग है एवं आराजी संख्या 9943 / 7540 रकबा 11 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 17.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

17/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस